सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2022-23

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

—: एक परिचय :—

1. निगम की स्थापना :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010—11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12. 2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामलें, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूॅजी :

निगम की अधिकृत अंश पूॅजी 100 करोड रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूॅजी 50 करोड रूपये है। 50 करोड रूपये के अंशों में से 49.93 करोड रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात सदस्यों के नाम है।

3. निगम का संचालक मण्डल :

क्र. सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
3.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ	निदेशक
6.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक
7.	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—I) विभाग	निदेशक

4. निगम के कार्य एवं उददेश्य :

4.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

4.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बडे निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

4.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहॉ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नही है वहॉ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहॉ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहॉ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

4.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

4.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य–तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

4.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वांशिग सोप, पिसे हुए मसालें आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

4.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

5. निगम के विगत चार वर्षो के वित्तीय परिणाम :

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17
1.	Profit before interest & Depreciation	944.25	1396.62	1598.07	701.72
2.	Less: interest	Nil	688.15	638.5	30.27
3.	Operational Profit/Loss	944.25	708.47	959.57	671.45
4.	Less: Depreciation	40.71	60.87	17.49	14.63
5.	Profit/Loss after interest & Depreciation	903.54	647.6	942.08	656.82
6.	Profit/Loss for appropriation	504.63	515.02	566.35	351.31

नोटः– वर्ष 2017–18 व अग्रिम वर्षो के अंतिम लेखे तैयार नही हुए है, अतः वर्ष 2017–18 व अग्रिम की उपरोक्त सूचनाऐ उपलब्ध नही है।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति :

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 21.04.211, 28.06.2011, 24.10. 2011,17.12.2012 एवं 04.06.2013 के द्वारा निगम हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	51	23	28
2.	जिला कार्यालय	272	236	36
3	तहसील स्तर	498	118	380

नोटः– निगम की तहसील स्तर पर कोई भी ईकाई कार्यरत नही है। तहसील स्तर पर निरीक्षक के स्वीकृत पदो के विरूद्ध जिला स्तर पर JCO (सतर्कता निरीक्षक)निगम के गोदामो में कार्यरत है।

7. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं चीनी के थोक विक्रेता का कार्यः–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा के अनुरूप निगम का गठन करते हुये भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव कर तथा चीनी मीलों से लेवी चीनी का उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का दायित्व निगम को सौंपा गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा दिनांक 11.04.2011 को आदेश जारी कर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 जयपुर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न/चीनी के उठाव एवं वितरण के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न की आपूर्तिः–

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्तिः–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह लगभग 2.32 लाख मैट्रिक टन गेंहू आवंटन किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेंहू का उठाव कर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का कार्य राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. के जिलो में पदस्थापित प्रबंधक नागरिक आपूर्ति के द्वारा थोक विक्रेता के रूप में किया जा रहा है।

वर्तमान में चरणबद्ध रूप से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत ई–निविदा आमंत्रित कर परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रदेश के 27 जिलो में खाद्यान्न परिवहन का कार्य किया जा रहा है। शेष 06 जिलों में क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति का कार्य कराया जा रहा है।

निगम द्वारा 01.01.2020 से 30.11.2022 तक लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण

- वर्ष 2019–20 में NFSA योजना के अन्तर्गत लगभग 26.80 लाख एम.टी. गेहूं की आपूर्ति की गई।
- वर्ष 2020–21 में PMGKAY योजना के अन्तर्गत अन्तर्गत माह अप्रेल 2020 से नबम्वर 2020 तक लगभग 17.65 लाख एम.टी., आत्मनिर्भर भारत योजना में 44600 एम.टी., CMGKAY योजना के अन्तर्गत 33993.692 एम.टी. तथा राज्य सरकार की अन्य श्रेणियों हेतु योजना में 18740.774 एवं NFSA योजना के अन्तर्गत लगभग 27.45 लाख एम.टी. गेहूं एम.टी. गेहूं की आपूर्ति की गई।
- वर्ष 2021–22 में NFSA योजना के अन्तर्गत लगभग 25.46 लाख एम.टी. गेहूं की आपूर्ति, PMGKAY योजना के अन्तर्गत माह मई 2021 से मार्च 2022 तक लगभग 22.98 लाख एम.टी., गेहूं का उठाव कर आपूर्ति की गई।
- वर्ष 2022–23 में NFSA योजना के अन्तर्गत (अप्रेल 2022 से नबंवर 2022 तक) लगभग 17.11 लाख एम.टी. गेहूं की आपूर्ति, PMGKAY योजना के अन्तर्गत (अप्रेल 2022 से नबंवर 2022 तक) लगभग 15.95 लाख एम.टी., गेहूं का उठाव कर आपूर्ति की गई।
- वर्ष 2020–21 में नवम्बर 2020 तक PMGKAY प्रथम के अन्तर्गत 33501.39 एम.टी. चना दाल, PMGKAY द्वितीय के अन्तर्गत 44203.58 एम.टी. साबुत चना, आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत 2234.53 एम.टी. साबुत चना , राज्य सरकार द्वारा श्रेणियों हेतु देय 1474.25 एम.टी. चना इस प्रकार कुल 81413.74 एम.टी. चना/चना दाल की आपूर्ति निगम द्वारा की जा चुकी है।

2. पीडीएस के अन्तर्गत चीनी का वितरण

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी के वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेन्सी (Nodal Agency) है। भारत सरकार की योजनान्तर्गत अनुदानित चीनी का वितरण अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों को किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रति परिवार/प्रतिमाह एक किलोग्राम चीनी का वितरण उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से किया जाता है।

खाद्य विभाग राज्य सरकार के अनुसार राज्य में 683963 अन्त्योदय परिवार में निगम द्वारा चीनी का क्रय बाजार से खुली निविदा के माध्यम से किया जाता है। निगम/क्रय–विक्रय सहकारी समितियों व उचित मुल्य दुकानों पर उपलब्ध चीनी की मात्रा के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं के पश्चात निगम द्वारा चीनी का क्रय नहीं किया गया है।

राज्य को प्राप्त लेवी चीनी का वार्षिक आवंटन एवं उठाव

क्र.स.	वर्ष	आंवटन	उठाव	वितरण
1	2017—18	11185.20	10816.86	2779.26
2	2018—19	11185.20	0.00	4222.60
3	2019—20	11185.20	0.00	3614.19
4	2020—21		1520.30	2631.95
5	2021—22		0.00	308.86

9. गैर पीडीएस वस्तुओं का विपणन कार्य :

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर का उद्देश्य राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग में काम में आने वाली गुणवतापूर्ण वस्तुयें, सही वजन, किफायती एव ंप्रतिस्पर्धात्मक दरों पर जनसाधारण को उपलब्ध करवायी जाती है ।

निगम द्वारा माह मार्च 2021 से उचित मूल्य दुकानदारो के माध्यम से राज ब्राण्ड चाय उच्च गुणवत्ता युक्त एवं किफायती दरों पर आमजन को उपलब्ध करायी जा रही है। निगम द्वारा 5 विभिन्न फर्मो को चाय की आपूर्ति के आदेश दिये गये है। चाय की विक्रय दर 200/—रू० प्रति किलो है व आमजन को चाय 250 ग्राम के पैक में 50/—रू० प्रति पैक उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें डीलर का मार्जिन 20/—रू० प्रति किलो है। कार्यादेश अवधि में 91576 किलो राजब्राण्ड चाय की आपूर्ति फर्मो द्वारा करवाई गई है।

निगम द्वारा राज ब्राण्ड नमक की आपूर्ति का कार्यादेश माह सितम्बर 2021 में मैसर्स सांभर सॉल्ट्स लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को दिया गया है। राज ब्राण्ड नमक की विक्रय दर 10/—रू० प्रति किलो है व इसमें डीलर का मार्जिन 1/—रू० प्रति किलो है । कार्यादेश अवधि में 201325 किलोग्राम राजब्राण्ड नमक आपूर्ति फर्म द्वारा करवाई गई ।

उक्त योजना से आमजन को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं किफायती दरों पर उपलब्ध होने के साथ ही उचित मूल्य दुकानदारो की आय में भी वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 2021—22 में चाय की निविदा माह मार्च 2022 एवं नमक की निविदा माह सितम्बर 2022 में समाप्त हो गई है। . वर्तमान में चाय एवं नमक की नवीन निविदा प्रक्रिया विचाराधीन है।

10. पॉस मशीन के रखरखाव का कार्य

राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम को पॉस मशीन के सलाना रखरखाव का कार्य भी आवंटित किया गया हैं। आदेशों की अनुपालना में 2 फर्मों को 26,737 पॉस मशीनों के रखरखाव का कार्य 5 वर्ष के लिए दिया गया है। मैसर्स कॉम्पेक्ट कम्पयूटर, जयपुर को 16,042 पोस मशीनों के रखरखाव का आदेश दिया गया है, जिसकी राशि 79,66,56,629/– रू0 है। मैसर्स बालाजी इम्फोल्यूब को 10,695/– पॉस मशीनों के रखरखाव का कार्य दिया गया है, जिसकी राशि 53,11,20,973/– रू0 है। फर्मों को अनुबंध पश्चात् दिनांक 21.07.2022 तक कुल 19,15,01,806 राशि का भुगतान किया जा चुका है।

दोनो फर्मों द्वारा पहले से खराब हुई मशीनों को बदलते हुए प्रथम चार वर्षों में संपूर्ण मशीनें रिप्लेस की जानी है। दोनो फर्मों द्वारा माह सितंबर 2021 से रखरखाव का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। फर्मों द्वारा रिपेयर व रिप्लेस की गई मशीनों का विवरण निम्नानुसार है:–

- कुल मशीनें – 26,737 गत वर्ष ।
- रिपेयर की गई मशीनें – 27,805।
- दिनांक 26.11.2022 तक प्रतिस्थापित की गई कुल नई पॉस मशीनें – 1324।

****